

न्यायालय: अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,  
व्यवहार न्यायालय, लातेहार

जी० आर० 497 / 2022  
महुआडांड थाना काण्ड संख्या- 56 / 2022

राज्य  
बनाम  
मनोज जायसवाल

11-11-2022

अभिलेख प्रस्तुत किया गया । सूचक के विरुद्ध नोटिस निर्गत है ।

अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक सुभाष प्रसाद के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया है तथा अनुसंधान समाप्त कर अंतिम प्रतिवेदन अभियुक्तगण 1. मनोज जायसवाल 2. अवधेश जायसवाल 3. संजय जायसवाल 4. अमित जायसवाल उर्फ भुटूर 5. भानु प्रसाद के विरुद्ध असंज्ञेय समर्पित किया गया है । अनुसंधानकर्त्ता द्वारा सूचक को सूचित करने की बात काण्ड दैनिकी में कही गयी है, इसके बावजूद सूचक एफ०आर०टी० पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि सूचक को अनुसंधानकर्त्ता द्वारा समर्पित एफ०आर०टी० पर कुछ नहीं कहना है ।

अतः अनुसंधानकर्त्ता द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन एफ०आर०टी० स्वीकार की जाती है । अभिलेख विहित समय में अभिलेखागार में जमा करें ।

लेखापित

ह० / -

( मिथिलेश कुमार )  
अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,  
लातेहार ।

दिनांक: 11.11.2022

